

सराहनीय कार्य दिनांक- 23.10.2025

“थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के दौरान 01 वांछित अभियुक्त को एक अदद तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर वादी कमल कश्यप पुत्र श्री महेद्र पाल निवासी मो0 बिजलीपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर के प्रा0 पत्र के आधार पर दिनांक 17.10.2025 को मु0अ0सं0- 438/2025 धारा 191(2)/191(3)/333/352/115(2)/109(1)/351(3) बी.एन.एस. बावत अभियुक्तगण 1.सोनू गुप्ता पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता 2. कुनाल गुप्ता पुत्र प्रवीन गुप्ता 3. लालू पुत्र नामालूम निवासीगण मो0 बिजलीपुरा 4. पाँच अज्ञात लोग द्वारा वादी के भाई विशाल को घर से बाहर खींचकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की नियत से फायर करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पंजीकृत है जिसमें अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र गुप्ता नि0मो0 बिजलीपुरा निकट हनुमान मंदिर थाना कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 33 वर्ष वांछित चल रहा था। थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र गुप्ता नि0मो0 बिजलीपुरा निकट हनुमान मंदिर थाना कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 33 वर्ष को मय एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के हनुमत धाम के गेट नं0- 02 से 50 कदम आगे नया पुल की ओर से समय 00.20 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण :-

सोनू गुप्ता पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र गुप्ता नि0मो0 बिजलीपुरा निकट हनुमान मंदिर थाना कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 33 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 438/2025 धारा 191(2)/191(3)/333/352/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व वृद्धि धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

हनुमत धाम के गेट नं0- 02 से 50 कदम आगे नया पुल की ओर, दिनांक 23.10.2025 को समय 00.20 बजे

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू गुप्ता-

1. मु0अ0सं0- 202/23 धारा 3/4 जुआ अधि0 थाना कोतवाली शाहजहाँपुर

2. मु0अ0सं0- 181/25 धारा 115(2)/333/351(3)/352/69 बीएनएस व 3(1)(w)/3(2)(v) SC/ST Act थाना कोतवाली शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0- 265/22 धारा 3/4 जुआ अधि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर
4. मु0अ0सं0 438/2025 धारा 191(2)/191(3)/333/352/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व वृद्धि धारा 3/253/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक पवन शर्मा थाना कोतवाली शाहजहाँपुर ।
2. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
3. हे0का0 384 राजेश थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
4. का0 2597 पंकज कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।